बिहार सरकार

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

(374)

पत्रांक - प्र06-अन्नपूर्णा(अतिरिक्त)-02/05- 1751 आ0 वा0, पटना/दिनांक - 2-7-05

प्रेषक,

अरविन्द कुमार तिवारी,
खाद्यायुक्त के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :- अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत विस्तारित अतिरिक्त लाभान्वितों के सफेद राशन कार्ड के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत विस्तारित अतिरिक्त 184265 लाभुकों का चयन करने हेतु विभागीय पत्रांक 1274 दिनांक 21.05.05 द्वारा जिलावार विवरणी के साथ सभी जिलों को लक्ष्य उपलब्ध कराया गया है । नवचयनित अतिरिक्त लाभुकों को श्वेत राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु उसकी छपाई जिला पदाधिकारी के स्तर पर कराने का सरकार का निर्णय है । श्वेत राशन कार्ड स्थानीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कर क्रय समिति की बैठक में नियमानुसार निर्णय लेकर श्वेत राशन कार्ड की छपाई का कार्य किया जाय । चूंकि हाल में लाल, हरा तथा पीला राशन कार्ड केन्द्रीयकृत रूप में छपाई कराकर जिलों को उपलब्ध कराने के क्रम में 1.12 पैसा से 1.18 पैसा का खर्च आया था । इसलिए जिलों में श्वेत राशन कार्ड की कीमत उससे कम ही होनी चाहिए । अर्थात् 1/- रूपये प्रति कार्ड से कम कीमत पर इसकी छपाई जिला स्तर पर सम्भव हो सकेगी । श्वेत राशन कार्ड की छपाई पर जो खर्च आयेगा उसका भुगतान अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत जिलो को आकस्मिकता मद में उपलब्ध कराये जाने वाली राशि से ही किया जाय ।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि श्वेत राशन कार्ड की अविलम्ब छपाई कराकर अपने जिला में नवचयनित अतिरिक्त लाभुकों के बीच शीघ्र वितरित कर विभाग को शीघ्र सूचित किया जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

2/7/2005

(अरविन्द कुमार तिवारी)
खाद्यायुक्त के सचिव ।